<u>समाचार</u>

आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण व टीकाकरण का कार्य प्रारंभ

कोरबा 08 सितम्बर 2020 –नगर निगम कोरबा द्वारा शहर में आवारा रूप से भ्रमण करने वाले कुत्तों के बंन्ध्याकरण व उनके टीकाकरण का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है, इस कार्य हेतु बाहर से आई विशेष दक्ष टीम शहर का भ्रमण करेगी तथा कुत्तों के बन्ध्याकरण व उनके टीकाकरण का कार्य सम्पन्न कराएंगी।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री व्ही.के.सारस्वत ने बताया कि निगम द्वारा समय–समय पर आवारा कुत्तों के बन्ध्याकरण व टीकाकरण का कार्य कराया जाता है, इस वर्ष भी यह कार्य कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि बन्ध्याकरण व टीकाकरण का यह कार्य संजीवनी जनसेवा समिति एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है, एजेंसी की विशेष कार्य दक्ष टीम निर्धारित कार्ययोजना के तहत निगम के सभी 08 जोन में क्रमशः भ्रमण करेगी, आवारा कुत्तों की खोज करेगी तथा उन्हें पकड़कर उनका बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण का कार्य सम्पन्न कराएगी। उन्होने कहा कि आवारा कुत्तों के भ्रमण आदि की सूचना आमनागरिक निगम को दे सकते हैं, उनकी सूचना पर भी यह टीम त्वरित आवश्यक कार्यवाही करेगी। यह सूचना निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक श्री सुनील वर्मा के मोबाईल नम्बर 9993384181 पर दी जा सकती है।

<u>सार्वजनिक प्रसाधन में गदंगी, लगा अर्थदण्ड</u> – निगम के स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि नगर के प्रमुख व्यवसायिक काम्पलेक्स एस.एस.प्लाजा एवं अभिनंदन काम्पलेक्स में स्थित सार्वजनिक प्रसाधन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक प्रसाधनों में गदंगी व्याप्त है तथा वहां स्वच्छता का अभाव है, इससे संक्रमण आदि की संभावना बढ़ जाती है। उन्होने बताया कि इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधितों को नोटिस दी गई तथा दोनों पर 1000–1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर 6700 रू. जुर्माना–</u> सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने तथा कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करने पर निगम अमले द्वारा 08 सितम्बर को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 6700 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।